विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2021

क. 515-15-इक्कीस-भ(प्रा.)—भारत के संविधान के अनुसार बिहार के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रकाशित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.
मध्यप्रदेश अध्यादेश
क्रमांक 3 सन 2021

मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर (संशोधन) अध्यादेश, 2021

["मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २१ जनवरी, २०२१ को प्रथम बार प्रकाशित किया गया:]

भारत गणराज्य के इकहासी वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रकाशित किया गया।

मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर अधिनियम, २०१८ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश।

यदि, राज्य के संविधान मंथन का सम्मान नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ बिविधान हैं जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि तुरंत कार्यवाह करें;

अतः, भारत के संविधान के अनुसार (२३) के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रकाशित करते हैं:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर (संशोधन) अध्यादेश, २०२१ है।

(२) इस अध्यादेश के उपचर ऐसी तरीक़े से प्रबुद्ध होगे, जैसे कि राज्य सरकार, राज्यपाल और अधिकृता द्वारा, निश्चित किए।

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १२ सन २०१८ का असंख्य कुछ से संशोधन किया जाना।

२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालवधि के दौरान, मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर अधिनियम, २०१८ क्रमांक १२ सन २०१८ (जो इसमें इसके परिवार मूल अधिनियम के नाम से निरदेश है) धारा ३ में निर्दिष्ट संशोधन के अधिकृता रहते हुए प्रभावशाली होगा।

धारा २ का संशोधन:

३. मूल अधिनियम की धारा २ को उपभार (१) के खण्ड (४) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अतः:—

"(२) किसी व्यापारी के संबंध में"'कर्मचार युक्त राशि'" से अभिप्रेत है, व्यापारी की कुल राशि का वह भाग, जो उसमें से निम्नलिखित कठीनती के परस्पर बाकी रहे,—

(एक) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से क्रम किये गए हाई स्पीड डीजल का विक्रय मूल्य जहाँ विक्रेता व्यापारी द्वारा, केंद्र व्यापारी को किये गए ऐसे विक्रय पर उपकर संदेह किया जाना हो;

(दो) धारा ३ के अधीन उपकर के रूप में संग्रहात को गई रकम या वह रकम जो निम्नलिखित फार्मूला लागू करके प्राप्त होती है:

उपकर की दर X खण्ड (एक) के अधीन विक्रय मूल्य, यदि कोई हो, को पदार्थ के परस्पर अभिप्राय कुल राशि

(१००+ उपकर की दर)

परंतु यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा इस अधिनियम के उपचरों के अनुसार उपकर के रूप में संग्रहात को गई राशि, अन्यथा कुल राशि से कटाई गई है तो उपयुक्त फार्मूले के आधार पर कोई कठीनती नहीं की जाएगी।"
MADHYA PRADESH ORDINANCE

NO. 3 OF 2021

THE MADHYA PRADESH HIGH SPEED DIESEL UPKAR (SANSHODHAN) ADHYADESH. 2021

[First published in the “Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)”, dated the 11th January, 2021.]

Promulgated by the Governor in the seventy first year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh High Speed Diesel Upkar Adhiniyam, 2018.

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:

1. (1) This Ordinance may be called the Madhya Pradesh High Speed Diesel Upkar (Sanshedhan) Adhyadesh, 2021.

(2) The provisions of this Ordinance shall come into force from such date, as the State government may, by notification in the Gazette, appoint.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh High Speed Diesel Upkar Adhiniyam, 2018 Act, 2018 (No. 12 of 2018) (hereinafter referred to us the principal Act) shall have effect subject to the amendment specified in Section 3.

3. for clause (f) of sub-section (1) of Section 2 of the principal Act, the following clause shall be substituted, namely:

(f) “taxable turnover” in relation to a dealer means that part of the dealer’s turnover which remains after deducting therefrom,

(i) the sale price of High Speed Diesel purchased from a registered dealer where cess is payable by the selling dealer on such sale made to the purchasing dealer;

(ii) amount collected by the way of cess under section 3 or the amount received at by applying the following formula:

Rate of cess x Turnover obtained after deducting the sale price under clause (i), if any

(100+ Rate of cess)

Provided that no deductions on the basis of the above formula, shall be made if the amount by way of the cess collected by a registered dealer, in accordance with the provisions of this Act, has been otherwise deducted from the turnover;"

Bhopal:
Dated the 7th January, 2021

ANANDIBEN PATEL
Governor.
Madhya Pradesh.